राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3271–एक/2015 जिला– अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9.10.2015	प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/अ–21/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2015 से परिवेदित होकर म.प्र. भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत् पेश की गयी है। 2– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया। यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय की आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जो आवेदन अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया है उसमें यह उल्लेख किया गया है, कि अपीलार्थी के भूमि स्वामित्व की ग्राम आंबरीमाफी तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 217/1/1 रकवा 0.926 है0 तथा भूमि सर्वे क्रमांक 215/4 रकवा 0.746 है0 कुल रकवा 1.672 है0 स्थित है। जो अपीलार्थी की स्वंय की निजी कृषि भूमि है जिसमें पानी की कमी होने से फसल लाभ नहीं ले पा रहा है। और भूमि उबड खाबड एवं पथरीली है जिसमें फसल पैदा नहीं हो पाती है। आवेदन पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि अपीलार्थी उक्त भूमि को विक्रय कर ग्राम पडरिया में एक रहवासी प्लॉट 35×40 का क्रय करने का अनुबंध प्रत्यर्थी क्रमांक 2 लखन सिंह से कर लिया है। जिससे वह उक्त प्लॉट पर मकान बनाकर अपने	

बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा दिलवाना चाहता है कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उन्होने इस आधार पर भूमि विक्रय करने की अनुमति देने से इन्कार किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह उल्लेख नहीं किया है कि भूमि विक्रय करने के पश्चात् कितनी भूमि शेष बचेगी और भूमि विक्रय के बाद उसकी आमदनी के क्या स्त्रोत्र रहेगे अवगत नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन सद्भाविक नहीं होने से निरस्त कर भूमि विक्रय की अनुमति देने से इन्कार किया है। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक 2 से भूमि विक्रय करने का अनुबंध किया गया है, जिसके आधार पर वह भूमि विक्रय कर ग्राम पडरिया में आवासी प्लॉट 35×40 का क्रय कर अपने बच्चो को उच्च स्तरीय शिक्षा दिलवाकर वह अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकता है। इस प्रकार कलेक्टर का यह निष्कर्ष अभिलेख पर आधारित नही है। क्योंकि अपीलार्थी की और से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजो की जो प्रतियॉ पेश की है जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपने भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम आंबरीमाफी तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 217/1/1 रकवा 0.926 है0 तथा भूमि सर्वे क्रमांक 215/4 रकवा 0.746 है0 कुल रकवा 1.672 है0 का स्वतंत्र भूमि स्वामी दर्ज है, कलेक्टर द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है, उपरोक्त भूमि शासन द्वारा अपीलार्थी को पट्टे पर नहीं दी गयी थीं। बल्कि उसके द्वारा उसे पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया गया है। प्रस्तावित विक्रय में अपीलार्थी पर कोई दबाव नहीं है, तथा अपीलार्थी द्वारा भूमि विक्रय के जो कारण बताये गये है वह उचित है। दर्शित परिस्थतियों में यह पाया जाता है कि कलेक्टर द्वारा जिस आधार पर अपीलार्थी का भूमि विक्रय का आवेदन पत्र निरस्त किया है वह आधार अभिलेख पर आधारित नहीं है। अतः प्रकरण में समस्त पहलुओ पर विचार के पश्चात् कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.09.2015 निरस्त करते हुये

	अपीलार्थी को उसके भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम आंबरीमाफी तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 217/1/1 रकवा 0.926 है0 तथा भूमि सर्वे क्रमांक 215/4 रकवा 0.746 है0 कुल रकवा 1.672 है0 के विक्रय की अनुमति प्रदान की जाती है। उभय पक्ष सूचित हो। सदस्य	

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–अशोकनगर R-3271/I/2015

श्री दिवाकर दीक्षित द्वारा आज दि 7-10-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बलराम उर्फ बालाराम पुत्र श्री तुलाराम पटेलिया (आदिवासी)
निवासी – ग्राम धुर्रा तहसील ईसागढ़ जिला–अशोकनगर (म.प्र.)

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर

2– लखनसिंह पुत्र श्री रामसिंह रघुवंशी निवासी – ग्राम पडरिया जिला – अशोकनगर (म.प्र.)

..... प्रत्यर्थीगण

दिवाकर दीक्षित
7-10-15

न्यायालय कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/अ–21/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नाकिंत निवेदन है कि :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। कि ग्राम आंबरीमाफी तहसील में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 217/1/1 रकवा 0.926 है0 तथा भूमि सर्वे क्रमांक 215/4 रकवा 0.746 है0 कुल रकवा 1.672 है0 जो आवेदक की स्वंय की निजी भूमि है। जिसमें पानी की कमी होने से फसल लाभ नहीं ले पा रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को विक्रय कर वह ग्राम पडरिया में एक रहवासी प्लॉट 35×40 का क्रय करने का अनुबंध प्रत्यर्थी क्रमांक 2 से किया है। जिससे वह प्लॉट पर पक्का मकान बनाकर बच्चो की पढाई उच्चस्तरीय कराना चाहता है। तथा वह अपनी शेष बची भूमि को विकसित कर कृषि उपयोगी बनाकर कृषि लाभ प्राप्त करना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसे भूमि विक्रय की अनुमति दी जायें।
3. यहकि, कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा अपीलार्थीगण की वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी है, जबकि अपीलार्थी भूमि